55

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 202–तीन/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जावद जिला नीमच प्रकरण कमांक 57/बी–121/2015–16.

प्रदीप कुमार आत्मज श्री जतनमलजी चौपड़ा
निवासी 56 जवाहर मार्ग जावद जिला नीमच
——— आवेदक

विरूद्ध

1. मदनलाल आत्मज बद्रीलालजी सोनी
   निवासी बेगनपुरा जावद जिला नीमच
2. मुकेश आत्मज मदनलाल सोनी
   निवासी बेगनपुरा जावद जिला नीमच
3. दीपितका पत्नि मुकेश सोनी
   निवासी बेगनपुरा जावद जिला नीमच
——— अनावेदकगण

.....

श्री एम0के0 जैन, अभिभाषक आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २४ मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जावद जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने अनावेदकगण के विरूद्ध कलेक्टर नीमच को इस आशय का शिकायती आवेदन दिया गया कि अनावेदकगण ने जावद नगर स्थित भूमि सर्वे

नम्बर 1951/2, 1968/1, 1969/1 के विकय पत्रों में हेरफेर करके 60 फुट चौड़ी भूमि को 66 फुट चौड़ी करके डायवर्सन कराया है उसे निरस्त किया जाये। कलेक्टर नीमच ने शिकायती आवेदन जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी जावद को भेजा। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 57/बी–121/15–16 कायम कर आवश्यक कार्यवाही पश्चात जांच प्रतिवेदन दिनांक 30–11–15 को कलेक्टर को प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 30–11–15 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि आवेदक ने कलेक्टर को शिकायत की थी कि अनावेदक ने 60 फीट के स्थान पर 66 फीट का डायवर्सन कराया है और पेट्रोल पंच का आवंटन करा लिया है। इसलिए डायवर्सन निरस्त किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी ने जांच शुरू की पटवारी से रिपोर्ट ली और अनावेदकों का जबाव लिया गया। इस पर अनावेदकों ने अपने जबाव में आवेदक की शिकायत कर दी कि आवेदक ने शासकीय भूमि पर मकान बनाया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत की जांच प्रारम्भ कर दी। जबकि उतनी ही जांच करनी चाहिए थी जितनी कलेक्टर के समक्ष शिकायत के पश्चात उन्हें जांच के निर्देश प्राप्त हुई थे। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक के विरूद्ध डायवर्सन के संबंध में कोई कार्यवाही न करते हुये अनावेदकों की शिकायत के आधार पर यह मान लिया कि आवेदक का मकान शासकीय भूमि पर है जबकि उक्त के संबंध में किसी प्रकार का सीमांकन भी नहीं किया गया। जब आवेदक की ओर से शिकायत पर पटवारी की रिर्पोट प्राप्त हो गई थी तब फिर से पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार से रिपोर्ट मंगाने का कोई औचित्य नहीं था। तर्क में यह भी कहा कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी है जब उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से जांच

कार्यवाही की गई है और आवेदक द्वारा आपत्ति दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है उसको बिना ध्यान में रखते हुये जो कार्यवाही की गई निरस्त करने का अधिकार राजस्व मण्डल को है क्योंकि संहिता की धारा 8 में राजस्व मण्डल सुपरवाइजरी पावर इस्तेमाल कर सकता है। इस संबंध में न्यायिक उद्धरण भी प्रस्तुत किये गये।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक ने लिखित तर्क प्रस्तुत किया। जिनमें मुख्य रूप तर्क दिया कि आवेदक ने जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर अनुविभागीय अधिकारी को जांच के निर्देश दिये थे। अनुविभागीय अधिकारी ने कलेक्टर से प्राप्त जांच के आदेश के कम में जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है जिसके विरूद्ध निगरानी प्रचलनशील नहीं है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी केवल जांच एजेंसी है और जांच प्रतिवेदन न्यायिक विनिश्चय की श्रेणी में नही आता है। इस निगरानी में आवेदक द्वारा जांच प्रतिवेदन को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश बताकर चुनौती दी गई है। यह भी तर्क दिया कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 7 एवं 21 में न्यायालय की उपधारण है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राजस्व मण्डल की स्थिति केवल न्यायालय है। राजस्व पदाधिकारियों के प्रशासनिक कार्यों पर उसे शक्ति प्राप्त नहीं है जबकि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत की जांच प्राशासनिक कार्य है। राजस्व मण्डल राजस्व पदाधिकारियों की प्रशासनिक श्रृंखला में उच्च कड़ी नही है। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 30–11–15 को जांच प्रतिवेदन दिया है वह जांच प्रतिवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता या किसी अधिनियम की सीमा में न आने के कारण मात्र प्रशासनिक होने से पुनरीक्षण योग्य नहीं है। इस संबंध में न्यायिक उद्धरण भी प्रस्तुत किये गये। तर्क में यह भी कहा कि राजस्व प्राधिकारी के पास किसी एक जांच प्रचलित रहने पर आपत्ति अथवा शिकायत प्राप्त होने से अन्य जांच भी करने लिए स्वतंत्र रहते हैं। यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के

विरूद्ध प्राप्त शिकायत की भी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह उचित है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। कलेक्टर के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायती आवेदन जिसमें अनावेदकों ने 60 फीट के स्थान पर 66 फीट बताकर डायवर्सन कराने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को जांच हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने एवं पटवारी, राजस्व निरीक्षक तथा तहसीलदार से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अंतिम जांच प्रतिवेदन दिनांक 30–11–15 को तैयार किया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जांच में अनावेदकों द्वारा भी आपत्ति/शिकायत की कि आवेदक ने शासकीय रास्ते की भूमि पर मकान बना लिया है। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त बिन्दु पर भी जांच प्रारंभ कर अपने प्रतिवेदन में उक्त जांच की भी रिपोर्ट तैयार की है। अतः आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि अनुविभागीय अधिकारी को कलेक्टर की ओर से अनावेदक के विरूद्ध गलत तरीके से कराये डायवर्सन के संबंध में जांच हेतु निर्देशित किया गया था तब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकों की शिकायत के आधार पर उनके मकान के संबंध में भी जांच कर रिपोर्ट सौंप नहीं सकते क्योंकि जब किसी प्राधिकारी द्वारा किसी बिन्दु पर जांच प्रारंभ की जाती है तब तत्समय उस बिन्दु के अतिरिक्त यदि अन्य कोई बिन्दु जांच हेतु प्रकाश में आता तब उस प्राधिकारी का यह दायित्व होता है कि उक्त बिन्दु पर भी विधिवत जांच करें। अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत दोनों पक्षों के विरूद्ध जांच संपादित कर उसकी रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को भेजी गई। आवेदक इस न्यायालय में प्रस्तुत किए गए तथ्य कलेक्टर के समक्ष रख सकता है। जहां तक अनावेदक अभिभाषक के इस तर्क का प्रश्न है कि अनुविभागीय अधिकारी

द्वारा कलेक्टर के निर्देश के कम में मात्र जांच की जा रही थी और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही प्रशासनिक स्वरूप की है। उक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तैयार किये गये अंतिम जांच प्रतिवेदन के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रचलनशील नहीं है, उचित है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित विचाराधीन जांच प्रतिवेदन एक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी के आदेश के कम में की गई जांच का प्रतिवदेन है जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। इस संबंध में 1972 आर एन 297 नन्दकिशोर विरूद्ध सरमन में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है –

''भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 50– किसी अधिनियम की सीमा में न आने वाले प्रशासकीय आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण–ग्राह्य नहीं।''

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तैयार विचाराधीन प्रतिवेदन दिनांक 30–11–15 राजस्व मण्डल में निगरानी योग्य नहीं होने से उक्त प्रतिवेदन के विरूद्ध निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर